

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
27.11.2024 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 429 का उत्तर

रेल दुर्घटना में शिकार हुए लोगों के लिए बीमा

429. श्री सु. वेंकटेशन:

श्री सुब्बारायण के.:

श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर:

श्री सेल्वाराज वी.:

श्री बलवंत बसवंत वानखड़े:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 01.11.2019 से 31.10.2024 तक विगत पांच वर्षों की अवधि के दौरान हुई प्रमुख रेल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है तथा उपरोक्त दुर्घटनाओं में जान-माल की हुई हानि और घायल हुए लोगों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस कारण सरकार को कुल कितना वित्तीय नुकसान हुआ;
- (ग) ई-टिकट के माध्यम से बीमा कराने वाले पीड़ितों की संख्या कितनी है;
- (घ) बीमाधारक के नामित व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने मृत्यु दावे प्राप्त किए;
- (ङ) मृत्यु दावों का निपटान न किए जाने के कारण, यदि कोई हों;
- (च) इन दुर्घटनाओं की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और
- (छ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।


\*\*\*\*\*

रेल दुर्घटना में शिकार हुए लोगों के लिए बीमा के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री सु. वेंकटेशन, श्री सुब्बारायण के., श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर, श्री सेल्वराज वी. और श्री बलवंत बसवंत वानखड़े के अतारांकित प्रश्न सं. 429 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (छ): पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं 2014-15 में 135 से घटकर 2023-24 में 40 रह गई हैं जैसा नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है। इन दुर्घटनाओं के कारणों में मुख्यतः रेलपथ में खराबी, रेल इंजन/सवारी डिब्बों में खराबी, उपकरण की विफलता, मानवीय चूंक आदि शामिल हैं। किसी दुर्घटना से रेल संपत्ति को क्षति हो सकती है जिसमें रेलपथ, चल स्टॉक, शिरोपरि उपकरण, सिग्नल गियर आदि शामिल हैं।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की औसत संख्या 1711 (औसत 171 प्रतिवर्ष) थी जो वर्ष 2014-24 की अवधि के दौरान घटकर 678 (औसत 68 प्रतिवर्ष) रह गई है।

गाड़ी परिचालन में बेहतर संरक्षा दर्शाने वाला अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक दुर्घटना प्रति मिलियन रेलगाड़ी किलोमीटर (एपीएमटीकेएम) है, जो 2014-15 में 0.11 से घटकर 2023-24 में 0.03 रह गया है, जो उक्त अवधि के दौरान लगभग 73% का सुधार दर्शाता है।



(अक्टूबर तक)

भारतीय रेल में परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं तथा उनमें हताहतों की संख्या निम्नानुसार

है:

अवधि	परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
2004-05 से 2013-14	1711	904	3155
2014-15 से 2023-24	678	748	2087

पिछले पांच वर्षों (अप्रैल 2019 से मार्च 2024) के दौरान परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं में रेल संपत्ति यथा चल स्टॉक/रेलपथ आदि को हुए नुकसान की कुल लागत का आकलन लगभग 313 करोड़ रुपए है।

दिनांक 01.11.2019 से दिनांक 31.10.2024 तक की अवधि के दौरान वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अंतर्गत 22 दावे पंजीकृत किए गए।

यात्री सीधे बीमा एजेंसियों की वेबसाइटों पर अपना नामांकन भरते हैं और सीधे उनके साथ दावों का निपटान करते हैं। वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अन्तर्गत किसी भी बीमा कंपनी के पास दिनांक 01.11.2019 से दिनांक 31.10.2024 की अवधि के दौरान मृत्यु का कोई दावा पंजीकृत नहीं किया गया था।

रेल दुर्घटनाओं की जांच, वैधानिक निकाय, नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल संरक्षा आयुक्त और विभागीय जांच समितियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है।

एजेंसियां, विभिन्न दुर्घटनाओं के संबंध में विधिवत विचार-विमर्श के बाद, अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। एजेंसियों द्वारा अपनी रिपोर्ट में सुझाई गई सिफारिशों के अनुसार, रेलवे प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

\*\*\*\*\*